

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.4(2)गृह-12/कारा/1999 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 22.01.2021

—: आदेश :-

राज्य के कारागृहों में बंदियों को काम के बदले पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.03.2015 का अधिक्रमण करते हुये कारागृहों में बंदी श्रमिकों को निम्न प्रकार प्रतिदिन पारिश्रमिक भुगतान की दरें पुनरीक्षित की जाती है:-

क्र. स.	बंदी श्रमिक श्रेणी	सकल न्यूनतम पारिश्रमिक राशि	कटौती-भोजन, कपड़ा, रख-रखाव आदि पर राज्य सरकार द्वारा व्यय राशि	बंदियों को भुगतान योग्य राशि
1	कुशल बंदी श्रमिक	249 रूपये	69 रूपये	180 रूपये
2	अकुशल बंदी श्रमिक	225 रूपये	69 रूपये	156 रूपये


राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग 12 के नियम 31(3) के प्रावधानांतर्गत उक्त अनुसार निर्धारित बंदियों को भुगतान योग्य पारिश्रमिक की 75 प्रतिशत राशि बंदी श्रमिक को दी जायेगी और शेष 25 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी जो पीड़ितों या उनके विधिक वारिसों को संदत्त की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति आई.डी.संख्या 102100206 दिनांक 19.01.2021 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

3/4  
(एन. एल. मीना),  
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक उद्योग/इन्द्रजीत/19001/2018/39466 दिनांक 24.09.2020 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
3. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
4. रक्षित पत्रावली।

  
(कैलाश चन्द),  
शासन उप सचिव,